पत्रांक–एल/एच०जी०– 302/2013–................/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

पटना, दिनांक–....................../

संकल्प

विषयः– **बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में वित्तीय शक्ति प्रदान करने के संबंध में।**

बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम–21 में यह प्रावधानित है कि बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी बल के लिए भी उस अंश तक लागू होंगे, वशर्ते वे बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अधिनियम एवं नियमावली के प्रतिकूल नहीं हो। इसके साथ बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम–12 में भी यह प्रावधान है कि अन्य सभी विषय जो इस नियमावली में वर्णित नहीं हैं, के संबंध में पुलिस हस्तक के प्रावधान लागू होंगे।

2. दिनांक–03.08.2010 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं०–6376 दिनांक–06.08.2010 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक खंड–1 के नियम–1150 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी एक विभागीय भवन या भवन समूह के लिए ₹2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रूपये) लागत तक की परियोजना की स्वीकृति देने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्राधिकृत किया गया है। इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति की शक्ति सरकार में निहित होगी। साथ ही बिहार पुलिस हस्तक खंड–1 के नियम–1151 में संशोधन करते हुए आवासीय या गैर आवासीय भवनों के सन्निर्माण एवं पुनः सन्निर्माण या संरचनात्मक हेरफेर के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार को ₹2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रूपये) तक की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सरकार का होगा।

3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को भी बिहार पुलिस हस्तक खंड–1 के नियम –1150 एवं 1151 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप लघु कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने की वित्तीय शक्ति प्राप्त रहने के स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण लघु निर्माण कार्य हेतु बजट शीर्ष में राशि रहने के बावजूद बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया जा पाता हैं, जबकि विभागीय राज्यादेश सं0 2644 दिनांक–17.08.1974 के अनुसार गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार पटना के राज्यादेश सं0 4116 दिनांक–08.04.1974 के द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा विभागाध्यक्ष घोषित हैं और इन्हें बिहार सेवा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं संहिताओं के अंतर्गत विभागाध्यक्ष की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत हैं।

अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महसमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम–21 के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के समरूप गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं०–6376 दिनांक–06.08.2010 की कंडिका (1) एवं (2) के प्रावधान के तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्राधीन परियोजनाओं के निमित प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु सक्षम होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(चन्द्रशेखर सिंह)
अपर सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना

क०पु०उ०

ज्ञापांक– एल/एच०जी०– 302/2013–................/ पटना, दिनांक–......................./

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– एल/एच०जी०– 302/2013–................/ पटना, दिनांक–......................./

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– एल/एच०जी०– 302/2013–................/ पटना, दिनांक–......................./

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक– 27.10.2016 (मद सं०–15) के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– एल/एच०जी०– 302/2013–10475/ पटना, दिनांक–09-11-16/

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/11/2016

सरकार के अपर सचिव

9/11